तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
.0.25	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे वकील वादी की एक तरफा बहस सूनी गई वाद वादी का स्वीकार किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दी जावे। पत्रावली वास्ते पालना मे दिनांक 13-11-25 को पेश हो।	
3-11-25	पत्रावली आज पेश हुई पी.ओ. साहब आज दौरे पर पधारे है अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक...... 29-12-25 को पेश की जावे	
29-12-25	पत्रावली आज पेश हुई बार द्वारा कार्य स्थगित किया गया है। अब पत्रावली पुर्वानुसार दिनांक 13-1-26 को पेश की जावे	
13-1-26	पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित प्रकरण मे तहसीलदार बेंगू से पुर्व मे फर्द बटवारा रियोर्ट प्राप्त हुई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस सूनी गई प्रकरण मे प्राप्त फर्द बटवारा रिपोर्ट स्वीकार कि जाती है। दावा अन्तिम डिक्री किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामील पत्रावली किया गया। डिक्री की प्रति तहसीलदार बेंगू को पालनार्थ दि जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।	

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्याः— 90 / 2025

रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा भील निवासी झाडोल तहसील बेगूँ
वादी

बनाम

1. कमनीबाई पत्नी स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ के फोत के बजाय
   1/1—जगदीश माता स्व.कमनीबाई पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   1/2— श्यामलाल माता स्व. कमनीबाई पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया
   1/3— शांतिबाई माता स्व. कमनीबाई पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया
2. कमली पुत्री देवी भील निवासी चावण्डिया तहसील बेगूँ फौत के बजाय :—
   2/1— रतनलाल माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   2/2— कालूलाल माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   2/3— संतोष माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   2/4— राजूबाई माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
3. जगदीश पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
4. मांगीबाई पुत्री देवी जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील बेगूँ फौत के बजाय :—
   4/1— बाबूलाल माता स्व. मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
   4/2— महेश माता स्व. मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
   4/3— शांति माता स्व. मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
5. मोडा पिता देवीलाल भील निवासी चावण्डिया तहसील बेगूँ
6. श्यामलाल पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
7. शांतिबाई पत्नी स्व.त्र ईश्वरा उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
8. हगामी पुत्री देवी भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ फौत के बजाय :—
   8/1— मदनलाल पिता गोपीलाल भील निवासी गंगापुर नई आबादी तह0 बेगूँ
   8/2— ऐजनबाई पुत्री गोपीलाल भील निवासी गंगापुर नई आबादी तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति जोधा भील निवासी डोराई तह0 बेगूँ
   8/3— रूकमाबाई पुत्री गोपीलाल भील निवासी गंगापुर नई आबादी हा.मु. पति भैरूलाल भील निवासी मालीखेडा ग्राम पंचायत मोतीपुरा तह0 बेगूँ
9. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
10. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

उपस्थित ::— श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :—13.01.2026

निर्णय वादपत्र अन्तर्गत धारा 53—88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वादपत्र इस प्रकार से है कि ग्राम चावण्डिया प.ह. खेडी तह0 बेगूँ में वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से लगायत 8 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्न कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :—

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
66	51	0.1400
	52	0.2600
	53	0.1800
	56	0.3400
	57	0.2800
	58	0.0400
	64	0.0700
कुल कीता —	7 कुल रकबा	1.3100 हैक्टर

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चितौडगढ़)

वाद पत्र की कलम संख्या एक में अंकित संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात में वादी का 3/14 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक राजस्व रेकार्ड मे अंकित हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 सें 8 तक अपने अपने निहित हक हिस्से अनुसार मौके पर कावीज हो निरतंर एवं निर्वाध रूप से काश्त करते आ रहे है।

यह कि अपने अपने निहित हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण ने मौके पर आपसी तौर पर मौखिक वंटवाडा कर निरंतर काविज हो काश्त करते चले आ रहे है और लगान भी अदा करते आ रहे है लेकिन मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 8 के मध्य आए दिन फसल बोंते व घास चारा काटते समय सीमा सवंधी भूमि कम ज्यादा को लेकर एवं लगान को लेकर विवाद होता रहता है जिसके स्थाई समाधान के लिए दिनांक 25.06.2025 को वादी ने अपने अपने निहित हक हिस्से की भूमि का आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन करा खाता अलग अलग कराने के लिए प्रतिवादीगण को कहा किन्तु प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने के कारण वादी को यह वादपत्र वास्ते विभाजन हेतु न्यायालय श्रीमान में पेश करने की आवश्यकता हुई है।

यह कि वादपत्र. की कलम संख्या एक में अंकित संयुक्त खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात में वादी का 3/14 हक हिस्सा निहित है तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्से अनुसार वादी एवं प्रतिवादी सं0 1 से 8 तक अपने अपने निहित हक हिस्से अनुसार उक्त वाद वर्णित भूमि का मौके पर एवं राजस्व रेकार्ड में अंकित निहित हक हिस्से व कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

यह कि वाद कारण दिनांक 25.06.2025 को वादी ने प्रतिवादीगण को तहसील में चलकर वाद वर्णित भूमि का आपसी सहमति से बंटवाडा कराने एवं खाता अलग अलग कराने के लिए कहा लेकिन प्रतिवादीगण द्वारा इंकार कर दिये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वाद वर्णित भूमि के विभाजन के वादपत्र में श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार सहाब बेगूँ आवश्यक पक्षकार होने से एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय राजस्थान राज्य के प्रतिनिधि होने से वादपत्र में प्रतिवादी पक्षकार बनाये गये है। यह कि मृतक खातेदार हगामी बाई पुत्री देवी भील का स्वर्गवास हो जाने से एवं जमाबंदी में मृतक खातेदार हगामीबाई का नाम अंकित होने से प्रतिवादी संख्या 8 के रूप में पक्षकार बनाया जाकर उनके विधिक वारिसान को 8/1 से 8/3 तक वादपत्र में पक्षकार बनाये गये है। यह कि वाद वर्णित संयुक्त कृषि आराजीयात ग्राम चावण्डिया प.ह. खेडी तहसील बेगूँ में स्थित होने से वादपत्र की सुनवाई का क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार न्यायालय श्रीमान आप को प्राप्त हैं।

अतः न्यायालय श्रीमान से प्रार्थना है कि वादी के पक्ष मे विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिक्री प्रदान कराई जावे :—

(क) कि ग्राम चावण्डिया प.ह. खेडी तहसील बेगूँ की वादपत्र की कलम संख्या एक अंकित संयुक्त खातेदारी आधिपत्य एवं कब्जे काश्त की कृषि आराजीयात में वादी का 3/14 हक हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्सें अनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक के मध्य भूमि का राजस्व रेकार्ड में एवं मौके पर काबीजानुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन किये जाने की आज्ञप्ति वादी कें पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

(ख) वाद विभाजन वादी के निहित हक हिस्से की कृषि आराजीयात का खाता पृथक पृथक रूप से राजस्व रेंकार्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोप जो सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वादी वादपत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर वाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलव किया गया, प्रतिवादीगण वावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा जारी किये गये। वादपत्र में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश होने के पश्चात वादी की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादी हेतु साक्ष्य शपथ पत्र वादी रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा का प्रस्तुत किया गया तथा

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

परीक्षण में वादी द्वारा दावा पत्रावली मे प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमवद्ध कराते हुए वादी साक्ष्य पूर्ण की है।

इस प्रकार वादपत्र में वादी साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात अधिवकता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया जिन्होने अपनी वहस को वादपत्र के अनुसार ही करते हुए मौजा चावण्डिया प0ह0 खेडी तहसील बेगूँ में स्थित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64 कुल कीता–7 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर कृषि भूमि में वादी का निहित हिस्सा 3/14 रखते हुए शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक का जमाबंदी में अंकित हिस्सानुसार रखते हुए कृषि भूमि का मौके पर कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के अधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किए जाने का निवेदन अपनी बहस में किया है।

दावा पत्रावली में अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–12 मौजा चावण्डिया प0ह0 खेडी तहसील बेगूँ का अवलोकन किया गया जिसमें पाया कि वर्णित कृषि भूमि आराजी संख्या 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64 कुल कीता–7 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर कृषि भूमि में वादी का निहित हिस्सा 3/14 है तथा शेष हिस्स प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक का जमाबंदी में दर्ज है। वादी अपने निहित हक हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत करा पाने के अधिकारी पाये जाते है। वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद पत्र वादी अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा चावण्डिया प0ह0 खेडी तहसील बेगूँ में स्थित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 51, 52, 53, 56, 57, 58, 64 कुल कीता–7 कुल रकबा 1.3100 हैक्टर कृषि भूमि में वादी का निहित हिस्सा 3/14 रखते हुए शेष हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 से 8 तक का जमाबंदी में अंकित हिस्सानुसार रखतें हुए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 8 तक के मध्य कृषि आराजी का मौके पर कब्जे अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी कृषि भूमि का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य किए जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 2000/– रूपये कमिश्नर शुल्क पर तहसीलदार बेगूँ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उपरोक्त आदेश अनुसार कृषि भूमि का विभाजन कराते हुए विभाजन प्रस्ताव इस न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री की प्रति वास्ते पालनार्थ तसहीलदार बेगूँ को दी जाती है।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूँ के पत्र क्रमांक/राजस्व/2026/08 दिनांक 05.01.2026 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील की बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा चावण्डिया पटवार हल्का खेडी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा भील निवासी झाडोल सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
56	0.070
58	0.020
57	0.280
कीता– 03	0.370 हैक्टर

2– श्री जगदीश माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/120
श्री श्यामलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/120
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/120

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

रतनलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री कालूलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री मति संतोष माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री मति राजूबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री जगदीश पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/40
श्री बाबूलाल माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/30
श्री महेश माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/30
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/30
श्री मोडा पिता देवीलाल भील हि. 1/10
श्री श्यामलाल पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/40
श्री मति शांतिबाई पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/40

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
51	0.1400
52	0.2600
53	0.1800
56 मेसे	0.2700
64	0.0700
कीता— 05	0.9200 हैक्टर

3— श्री जगदीश माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/24,
श्री श्यामलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/24
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/24
श्री रतनलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री कालूलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री मति संतोष माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री मति राजूबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री जगदीश पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/8
श्री बाबूलाल माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/42
श्री महेश माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/42
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/42
श्री मोडा पिता देवीलाल भील हि. 1/14
श्री श्यामलाल पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/8
श्री मति शांतिबाई पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/8
श्री रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा भील निवासी झाडोल हि. 2/7

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म
58 मेसे	0.020	रास्ता

नोटः— प्रतिवादी संख्या 08 के वारिसान 8/1, 8/2, 8/3, द्वारा वादी को अपनी भूमि विक्रय किये जाने से वर्तमान मे वादी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमांबदी मे 2/7 हिस्सा है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)

दावा संख्याः– 90/2025

रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा भील निवासी झाडोल तहसील बेगूँ
वादी

वनाम

1. कमनीबाई पत्नी स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ के फोत के बजाय
   1/1–जगदीश माता स्व.कमनीबाई पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   1/2– श्यामलाल माता स्व. कमनीबाई पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया
   1/3– शांतिबाई माता स्व. कमनीवाई पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया
2. कमली पुत्री देवी भील निवासी चावण्डिया तहसील बेगूँ फौत के बजाय :–
   2/1– रतनलाल माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   2/2– कालूलाल माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   2/3– संतोष माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
   2/4– राजूबाई माता स्व. कमलीबाई पिता घीसूलाल भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
3. जगदीश पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
4. मांगीबाई पुत्री देवी जाति भील निवासी चावण्डिया तहसील बेगूँ फौत के बजाय :–
   4/1– बाबूलाल माता स्व. मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
   4/2– महेश माता स्व. मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
   4/3– शांति माता स्व. मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील निवासी किशोरपुरा तह0 बेगूँ
5. मोडा पिता देवीलाल भील निवासी चावण्डिया तहसील बेगूँ
6. श्यामलाल पिता स्व. ईश्वर उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
7. शांतिबाई पत्नी स्व.त्र ईश्वरा उर्फ ईशा भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ
8. हगामी पुत्री देवी भील निवासी चावण्डिया तह0 बेगूँ फौत के बजाय :–
   8/1– मदनलाल पिता गोपीलाल भील निवासी गंगापुर नई आबादी तह0 बेगूँ
   8/2– ऐजनबाई पुत्री गोपीलाल भील निवासी गंगापुर नई आबादी तह0 बेगूँ हाल मुकाम पति जोधा भील निवासी डोराई तह0 बेगूँ
   8/3– रूकमाबाई पुत्री गोपीलाल भील निवासी गंगापुर नई आबादी हा.मु. पति भैरूलाल भील निवासी मालीखेडा ग्राम पंचायत मोतीपुरा तह0 बेगूँ
9. श्रीमान भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूँ जिला चितौडगढ़
10. श्रीमान राजस्थान राज्य जरिये प्रतिनिधि जिला कलेक्टर महोदय चितौडगढ़

प्रतिवादीगण

निर्णय अंतिम डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक कुमार एवं में तथा प्रतिवादी अधिवक्ता श्री ....की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 11.01.2026 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादी का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट का स्वीकार किया जाकर निम्नानुसार अंतिम डिक्री किया जाता हैः–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा चावण्डिया पटवार हल्का खेडी की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है।

1– श्री रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा भील निवासी झाडोल सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
56	0.070
58	0.020
57	0.280

कीता– 03 0.370 हैक्टर

2– श्री जगदीश माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/120
श्री श्यामलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/120
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/120

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

, रतनलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीवाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री कालूलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीवाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री मति संतोष माता स्व0 श्रीमति कमनीवाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री मति राजूवाई माता स्व0 श्रीमति कमनीवाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/40
श्री जगदीश पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/40
श्री वाबूलाल माता स्व0 मांगीवाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/30
श्री महेश माता स्व0 मांगीवाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/30
श्री मति शांतिवाई माता स्व0 मांगीवाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/30
श्री मोडा पिता देवीलाल भील हि. 1/10
श्री श्यामलाल पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/40
श्री मति शांतिबाई पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 7/40

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
51	0.1400
52	0.2600
53	0.1800
56 मेसे	0.2700
64	0.0700
कीता– 05	0.9200 हैक्टर

3– श्री जगदीश माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/24,
श्री श्यामलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/24
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/24
श्री रतनलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री कालूलाल माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री मति संतोष माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री मति राजूबाई माता स्व0 श्रीमति कमनीबाई पिता घीसूलाल भील हि. 1/56
श्री जगदीश पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/8
श्री बाबूलाल माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/42
श्री महेश माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/42
श्री मति शांतिबाई माता स्व0 मांगीबाई पिता चुन्नीलाल भील हि. 1/42
श्री मोडा पिता देवीलाल भील हि. 1/14
श्री श्यामलाल पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/8
श्री मति शांतिबाई पिता स्व0 ईश्वर उर्फ ईशा भील हि. 1/8
श्री रामा उर्फ रामलाल पिता होकमा भील निवासी झाडोल हि. 2/7

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म
58 मेसे	0.020	रास्ता

नोटः– प्रतिवादी संख्या 08 के वारिसान 8/1, 8/2, 8/3, द्वारा वादी को अपनी भूमि विक्रय किये जाने से वर्तमान मे वादी का हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमांबदी मे 2/7 हिस्सा है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 13.01.2026 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक/रारिश्ता/2026/ 42 दिनांक :– 16/1/26

दावा पत्र संख्या 90/2025 व अनवान रामा उर्फ रामलाल बनाम कमनीबाई वगै. वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट में न्यायालय द्वारा जारी अंतिम डिकी की प्रति वास्ते पालनार्थ तहसीलदार बेगूं को दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं